कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376–232077,
ई:मेल :
dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 368 / 12-1 नई टिहरी, दिनांक– 19/8/ 2020

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषयः– **Diversion of 0.908 ha of forest land for construction of Chamba Nagar (Re-organization) Pumping Drinking Water Supply Scheme. FP/UK/Water/41746/2019 के सम्बन्ध में ।**

सन्दर्भः– आपका पत्रांकः–88/12–1, दिनांकः–13–07–2020।

महोदय,

प्रश्नगत परियोजना निर्माण के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर सन्दर्भित पत्र द्वारा आपत्ति लगाई गई है जिसका निराकरण प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निम्न प्रकार प्रेषित किया गया हैः–

आपत्तिः– बिन्दु सं0–02 के क्रम में आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि ऑनलाईन पोर्टल के पार्ट–I के पैरा–B1 में अंकित प्रस्ताव चम्बा–मसूरी फलपट्टी पम्पिंग योजना है, जिसका प्रश्नगत प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध नही है। इस प्रस्ताव का उल्लेख वर्तमान प्रस्ताव में क्यों किया गया है, स्पष्ट करें।

आख्या/निराकरणः–प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने पत्रांकः–703/406/09, दिनांकः–30–07–2020 से आपत्ति का निराकरण के सम्बन्ध में अवगत कराया है कि पार्ट–I के पैरा–B1 में अंकित प्रस्ताव चम्बा–मसूरी फलपट्टी पम्पिंग योजना का प्रश्नगत प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध नही है। चम्बा नगर (पुनर्गठन) पम्पिंग पेयजल योजना के प्रस्ताव को ऑनलाईन करते समय पार्ट–I के पैरा–B1 में यह जानकारी चाही गई थी कि पूर्व में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रदान की गई परियोजना का विवरण अंकित करें जिस कारण उनके (प्रयोक्ता अभिकरण–निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, चम्बा) द्वारा पूर्व में स्वीकृति प्राप्त चम्बा–मसूरी फलपट्टी पम्पिंग योजना की जानकारी/सूचना अंकित की गई है, जबकि दोनों परियोजनाऐं एक दूसरे से भिन्न हैं।

अतः प्रकरण पर लगाई गई आपत्ति की आख्या/निराकरण सादर प्रेषित।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

D/PK.EDS reply Letter